

पांच घंटे में 18 किमी. चले आस्था के कदम

कंकाली माता को अर्पित की 201 मीटर लंबी चुनरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शारदीय नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर भेल क्षेत्र के ग्राम खजूरी कलां में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए श्रद्धालु 201 मीटर चुनरी को थामने के लिए लालायित थे। सुबह 11 बजे पूजन के बाद परंपरागत चुनरी यात्रा की शुरुआत हुई।

भजन और जयकारों के साथ आस्था के कदम 18 किलोमीटर का सफर तक करके शाम चार बजे मां कंकाली धाम पहुंचे। महाआरती के बाद माता को चुनरी अर्पित की गई। तत्पश्चात प्रसादी वितरण किया गया।

खजूरी कलां के श्री राम जानकी मंदिर सांस्कृतिक मंडल के प्रवक्ता कुबेरसिंह राजपूत ने बताया कि शिवमंदिर में पूजा अर्चना के साथ सुबह 11 बजे यात्रा शुरू हुई। जो श्रीराम



जगह-जगह पुष्प वर्षा कर हुआ चुनरी यात्रा का अभिनंदन

जानकी मंदिर से ग्राम बाँसिया, जमुनिया कलां, नरुला सांकल से होते हुए शाम पांच बजे माता कंकाली के धाम पहुंची। इसमें सैकड़ों भक्तजन शामिल रहे।

पदयात्रा में पौराणिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां, भजन मंडलियां, ढोल-नगाड़े, डीजे और पारंपरिक वाद्य यंत्र आकर्षण का केंद्र थे।

जगह-जगह हुआ सत्कार

18 किलोमीटर के पुरे मार्ग में यात्रा पर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा लगभग 10 किंटल पुष्पों की वर्षा कर स्वागत किया गया। अमझारा मंडी में पर्वत सिंह डोरिया द्वारा पुष्प वर्षा कर चुनरी का अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में ग्राम बरिया में गोपाल सिंह मौणा एवं ग्रामीणों द्वारा, ग्राम जमुनिया में बागमाल मौणा, राजकुमार विश्वकर्मा, कमलेश मौणा सहित नागरिकों द्वारा और ग्राम नरोला सांकल में ओमप्रकाश व ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह शीतल जल, अल्पाहार और फलाहार की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनुप सिंह सिसोदिया, नीलेश सिंह राजपूत, रोहित सिंह, प्रदीप सिंह राजपूत, शुभम सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सुबह टहलने निकले युवक से मोबाइल फोन झपटा

नप्र, भोपाल : अशोकागर्डन इलाके में बुधवार सुबह घर से टहलने निकले युवक से स्कूटर सवार दो युवक मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए। वारदात सब्जी मंडी चौराहा के पास हुई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल कर बदमाशों का सुराग तलाश रही है। अशोकागार्डन थाना पुलिस के मुताबिक परिहार चौराहा के पास रहने वाले 30 वर्षीय प्रदीप यादव मंडीदीप की एक फ्रैक्ट्री में काम करते हैं। रोजाना की तरह बुधवार सुबह पांच बजे वह घर से टहलने निकले थे।

सब्जी मंडी चौराहा के पास उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने जेब से फोन बाहर निकाला ही था, तभी पीछे से स्कूटर पर आए दो बदमाशों में से एक ने उनके हाथ से फोन झपट लिया। वारदात के बाद दोनों प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे की तरफ भाग निकले। घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि प्रदीप स्कूटर का नंबर भी नहीं देख पाए।

पद बढ़ाने की मांग: मुख्यमंत्री निवास जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए रैली निकाली। चेतक ब्रिज पर धरना देने के बाद अभ्यर्थी रोशनपुरा चौराहे पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अभ्यर्थियों ने पदवृद्धि की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अभ्यर्थियों का आंदोलन एक

➤ **रोशनपुरा चौराहे पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी**

➤ **आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी**

महीने से अधिक समय से चल रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास के घेराव के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर एकत्र हुए। यहां से वे रैली के रूप में आगे बढ़े। रास्ते में चेतक ब्रिज पर धरना

देने के बाद वे एम्पी नगर की ओर से रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। यहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अभ्यर्थी ईशान श्रीवास्तव ने आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए जुटने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती में पद बढ़ाने का आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत ने भी मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही।

ठग ने मां के इलाज की मजबूरी बताई, छह लाख लेकर किसान को थमाया नकली सोना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नाती का इलाज कराने एम्स भोपाल पहुंचे एक किसान को शांतिर ठग ने मां के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत बताकर अपने जाल में फंसा लिया। उसने नकली सोने की तीन चैन गिरवी रखकर किसान से छह लाख रुपये ले लिए।

किसान ने जब सुनार से चैन की जांच कराई तो तीनों चैन नकली निकलीं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालकर आरोपी के बारे में सुराग जुटाए जा रहे हैं। बागसेवनिया थाने के एसआई कुलवीध खरे के मुताबिक पृथ्वीपुर,निवाड़ी निवासी

➤ **एम्स परिसर में हुई वारदात**

➤ **सीसीटीवी फुटेज से पुलिस जुटा रही सुराग**

50 वर्षीय रामकिशन कुशवाहा किसानी करते हैं।

19 सितंबर को वह अपने 16 वर्षीय नाती का इलाज कराने एम्स भोपाल आए थे। सुबह 10:30 बजे गेट नंबर तीन के पास उनकी नजर एक रोते हुए व्यक्ति पर पड़ी। पूछने पर उसने बताया कि वह छत्तीसगढ़ से अपनी बीमार मां का इलाज कराने आया है, लेकिन उसके पास रुपये नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि यहां मेरी जान-पहचान नहीं होने के कारण कोई उसके जेवर गिरवी रखने को तैयार नहीं है। उसने किसान को सोने की

बताते हुए तीन चैन दिखाई। उसने इनका वजन करीब 100 ग्राम और कीमत लगभग 14 लाख रुपये बताई। साथ ही कहा कि रुपयों की सख्त जरूरत के चलते वह छह लाख रुपये में गिरवी रख देगा। उसके झांसे में फंसकर किसान ने उससे दो दिन बाद मिलने की बात कही। 21 सितंबर को रामकिशन दोबारा एम्स पहुंचे और उस व्यक्ति को छह लाख रुपये देकर तीनों चैन ले लीं। अगले दिन पृथ्वीपुर में सुनार से जांच कराने पर चैन नकली निकलीं। ठगी का पता चलते ही किसान भोपाल पहुंचा और बागसेवनिया थाने में शिकायत की। पुलिस अब एम्स परिसर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी का सुराग जुटा रही है।

पुलिस का शिकंजा: जुआ के मामले में जेल से छूटते ही रूसी अड़ीबाजी में फिर अंदर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: स्टेशन बजरिया इलाके में एक माह पहले क्राइम ब्रांच ने आधी रात को ड्रोन से सटीक जानकारी जुटाकर जुए के हाईटेक अड्डे का पर्दाफाश किया था। इस मामले में पुलिस ने मोटी रकम के साथ ही लगजरी गाड़ियां भी बरामद की थी। जुआ खिलाने के आरोप में पुलिस ने अड्डा संचालक बदमाश रूसी पठान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस मामले में जमानत मिलने पर बुधवार रात को रूसी जेल से रिहा हुआ था। गेट से बाहर निकलते ही पुलिस ने रूसी और उसके साथी सकलने को अड़ीबाजी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेजने का आदेश हो गया।

स्टेशन बजरिया थाना पुलिस के अनुसार चांदबड़ निवासी विजय

यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि रुपयों की जरूरत पड़ने पर उसने अपनी कार रूसी पठान के पास गिरवी रखी थी। आर्थिक स्थिति सुधर जाने के बाद वह रुपये लेकर कार वापस लेने रूसी के पास पहुंचा था, तो वह मूल रकम से कहीं रुपये मांगने लगा। विरोध करने पर रूसी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उससे मारपीट कर भगा दिया था। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने रूसी और उसके साथियों के खिलाफ अड़ीबाजी का केस दर्ज कर लिया था। बुधवार को पुलिस को पता चला कि जुआ के मामले में जेल में बंद रूसी को जमानत मिल गई है। पुलिस ने जेल परिसर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पैरोल पर जेल से बाहर आकर फरार हुआ बंदी, दो साल का सश्रम कारावास

➤ **16 दिन की आपात छुट्टी के बाद वापस नहीं लौटा था**

➤ **अदालत ने धारा 224 के तहत सुनाई सजा**

➤ **आजीवन कारावास की सजा से है दंडित**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: 16 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हुए आरोपी गम्बर उर्फ मनोहर को अदालत ने दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयदीप मोहन ने यह निर्णय सुनाया। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन

जेल प्रहरी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

जेल प्रहरी ने 5 अक्टूबर 2023 को गांधी नगर थाने में लिखित आवेदन देकर घटना की सूचना दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 258/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 224 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अधिकारी गुंजन गुप्ता ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, आरोपी गम्बर उर्फ मनोहर पुत्र शिवचरण निवासी विदिशा एक सत्र प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। महानिदेशक जेल एवं सुधारालय सेवाएं, मध्य प्रदेश के 17 मई

जालसाजी के आरोपी गौरव शर्मा की अग्रिम जमानत खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: धोखाधड़ी और कूटचित्त दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के मामले में आरोपी गौरव कुमार शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत ने निरस्त कर दी है।

विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने यह आदेश दिया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, भोपाल स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मेस संचालन का काम मेसर्स कनका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करती थी। कंपनी ने गौरव कुमार शर्मा को मेस संचालन की निगरानी और दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए प्रबंधक नियुक्त किया था।

आरोप है कि वर्ष 2023 में गौरव शर्मा ने वास्तविक कंपनी के नाम से मिलती-जुलती मेसर्स कनका फूड मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की प्रोपराइटरशिप फर्म बनवाई। यह फर्म हर्ष मरजानी के

➤ **श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मेस भुगतान के लिए बैंक खाता बदलने का मामला**

नाम पर बनाई गई और इसका बैंक खाता इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवाया गया।

आरोप के अनुसार, 27 जून 2024 को वास्तविक कंपनी के लेटरहेड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते के स्थान पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में भुगतान करने संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया था। वास्तविक कंपनी ने बैंक खाता बदलने के लिए ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया था। शिकायत के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

बिड़ला मंदिर में तीन दिनी नवरात्र महोत्सव आज से

नप्र, भोपाल : अररा हिल्स स्थित लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर में 16 से 18 अक्टूबर तक तीन दिवसीय भव्य नवरात्र महोत्सव होगा। वैदिक धर्म संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस अनुष्ठान में विशेष वैदिक यज्ञ और महाचंडी होम किया जाएगा। मंदिर के प्रबंधक केके पांडेय ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन दो सत्रों में चलेगा। प्रथम सत्र में सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एवं द्वितीय सत्र में शाम छह बजे से अनुष्ठान होगा। वैदिक मंत्रोच्चार और महाचंडी होम के साथ इस महोत्सव में द्वितीय सत्र के पूजन-अर्चन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भक्तिमय गरबा का विशेष आकर्षण रहेगा। मंदिर समिति ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाने की अपील की है।

एसआईआर में कटा मिर्ची बाबा का नाम, बोले- मैं जिंदा हूं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरि महाराज उर्फ मिर्ची बाबा का नाम उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब वे जीवित हैं, तो उनका नाम किस आधार पर काटा गया।

उन्होंने कहा कि मृत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन गरीबों, ठेले वालों और संन्यासियों के नाम भी मतदाता सूची से कटे जा रहे हैं। मिर्ची बाबा ने गुरुवार को वीडियो जारी कर कहा कि संन्यास परंपरा में पिंडदान के बाद व्यक्ति का परिवार से संबंध समाप्त हो जाता है। संन्यासी की पहचान गुरु परंपरा से होती है और संन्यास लेने के बाद पुराना नाम छोड़ दिया जाता है। उन्हें महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरि महाराज नाम दिया गया है। ऐसे में जन्मभूमि का प्रमाण पत्र



संन्यास परंपरा का हवाला देकर उठाए सवाल

और माता-पिता के नाम से जुड़े दस्तावेज जुटाना शिक्क न दे दी। इससे पहले, दुर्कर्म के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुए मिर्ची बाबा को अदालत ने 5 सितंबर 2023 को बरी कर दिया था।

 कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला-सीहोर (म.प्र.)		दिनांक : 13.10.2026
क्र.मंडी/निर्माण/26-27/1037		
तृतीय आमंत्रण सूचना		
कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला सीहोर की उपमण्डी मैना में ई-टेंडरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 30 मै. टन क्षमता के एवं 10 मै. टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेटे सहित संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_543405_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 17.10.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 03.11.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpsmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी। नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।		
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा जिला-सीहोर म.प्र. माध्यम/128621/2026	भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा जिला-सीहोर	

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला विदिशा म.प्र.		
प्रारूप-क (नियम 4 देखिए)		
क्रमांक 0006/3/82/2026-27/		विदिशा, दिनांक/09/2026
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधाते निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अभिविषय, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।		
(1)	परियोजना विकास का नाम	कार्यपालक निदेशक (बीपीआरडी) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कारपोरेशन लिमिटेड, बीना रिफाइनरी, बीना जिला सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना रिफाइनरी बेतवा बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	1- श्री मातीनाल अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग, कुरवाई 2- श्री संदीप शर्मा तहसीलदार, तहसील कुरवाई 3- श्री आशु अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरवाई 4- श्रीमती ममता महाराज सिंह दानी जनपद अथवा, जनपद पंचायत विकासखंड कुरवाई 5- श्रीमती वर्षा बाई सरपंच, ग्राम पंचायत बासोदा विकासखंड कुरवाई
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	विदिशा
(ख)	तहसील	कुरवाई
(ग)	ग्राम	बण्डोरा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.305 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	2.305 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना रिफाइनरी बेतवा बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	2.305 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तरीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-विदिशा (म.प्र.)		
जी- 20025/26		